I/90544/2023

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (MBADP) संशोधन

प्रेषक,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक 12 जनवरी, 2023**

विषयः मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MBADP) के दिशा–निर्देश में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–1070/XI/2020/56(60)2019, दिनांक 21 जुलाई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के 05 जनपदों के 09 विकासखण्डों (जो कि सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है) में संचालित ''सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम'' (BADP) की तर्ज तथा राज्य की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, BADP योजना से आच्छादित जनपदों/विकासखण्डों में अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से सटे गावों से 50 कि0मी0 तक के गांवों में विकास कार्यों/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु **"मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (MBADP)"** का गठन करते हुए, उक्त योजना के संचालन सम्बन्धी दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2– उक्त योजना के दिशा–निर्देशों के प्रस्तर–8.1 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार योजना के संचालन/अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी (SLSC) को योजना के दिशा–निर्देशों में संशोधन/प्रतिस्थापन/अवक्रमण का अधिकार प्राप्त है। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28 जुलाई, 2022 को SLSC की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें समिति द्वारा योजना के दिशा–निर्देशों में कतिपय संशोधन किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

अतः समिति की उक्तानुसार प्राप्त अनुशंसा/सिफारिशों के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना सम्बन्धी दिशा–निर्देशों में संलग्न तालिकानुसार कॉलम–3 में उल्लिखित प्रस्तरों/प्रावधानों को कॉलम–4 के अनुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– इस आशय के पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0–1070/XI/2020/56(60)2019, दिनांक 21 जुलाई, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

कृपया उक्तानुसार अग्रेत्तर अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Basava Venkata Rana Chandra Purushottam
Date: 11-01-2023 18:45:00

(डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम)
सचिव

Generated from eOffice by OMEESH KUMAR, RO-OK, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 12/01/2023 11:48 AM

I/90544/2023

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9. परियोजना समन्वयक, एस0पी0एम0यू0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द स्वरूप)
अपर सचिव

Generated from eOffice by OMEESH KUMAR, RO-OK, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 12/01/2023 11:48 AM

I/90544/2023

क्र0 सं0	प्रस्तर संख्या	मूल दिशा–निर्देशों में प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	**3. मार्गदर्शक सिद्धान्त** (Guiding Principle)	**3.** गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बी0ए0डी0पी0 के माध्यम सीमान्त जनपदों के 09 विकासखण्डों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए प्रथम गांव को शून्य मानते हुये 0–50 किमी दूरी तक अवस्थित गांवों हेतु मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना लागू होगी। यद्यपि सीमान्त क्षेत्र 0–10 कि0मी0 की परिधि में अवस्थित विकास कार्य हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार की बी0ए0डी0पी0 योजना में अनुमन्य कार्यों से इतर गतिविधियों को ही सम्मिलित किया जायेगा। इस योजना के तहत अनुमन्य कार्यो का विवरण इस योजना के मार्गनिर्देश के पैरा सं0 09 में उल्लिखित है।	**3.** गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बी0ए0डी0पी0 के माध्यम सीमान्त जनपदों के 09 विकासखण्डों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए प्रथम गांव को शून्य मानते हुये 0–50 किमी दूरी तक अवस्थित गांवों हेतु मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना लागू होगी एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 0–10 किमी की परिधि में अवस्थित गावों में बी0ए0डी0पी0 के साथ क्लस्टर संतृप्तिकरण (Cluster Approach) में कन्वर्जेंस के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी। **योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित चरणबद्ध प्रक्रिया अपनायी जायेगीः–** **3(क) जनपद द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सर्वेक्षण के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे प्रथम गांव से 10–50 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत लगभग 10–12 गांवों का एक क्लस्टर गठित किया जाये तथा उक्त क्लस्टर में समाहित सभी गांव योजना के तहत आच्छादन हेतु पात्र होंगे।** **3(ख) गांवों का चयन तथा योजना के क्रियान्वयन में निम्न मानकों को प्राथमिकता दी जायेगी–** **1–रणनीतिक महत्व के गांव।** **2–पलायन प्रभावित गांव (इन गांवों का चयन वर्ष 2011 की जनसंख्या एवं वर्तमान में गांव की जनसंख्या के अन्तर न्यून होने के आधार पर किया जायेगा।** **3–सूक्ष्म जलागम क्षेत्र।** **4–पर्यटन संभाव्य गांव।** **3(ग) योजनान्तर्गत क्लस्टर संतृप्तीकरण दृष्टिकोण (Cluster Saturation (Approach) के साथ 03 वर्षो का Rolling out plan तैयार किया जायेगा। जनपदों द्वारा क्लस्टरों में गांवों की संख्या का निर्धारण/चिन्हान्कन इस आधार पर किया जायेगा कि उक्त क्लस्टर में सम्मिलित सभी गांवों को त्रिवर्षीय कार्ययोजना की निर्धारित समयावधि में पूर्णतः संतृप्तिकरण (Saturation) किया जा सके। जनपदों द्वारा क्लस्टरों की संख्या एवं क्षेत्र को यथासम्भव तार्किक आधार पर सीमित रखने का प्रयास किया जायेगा ताकि क्लस्टर निर्धारित समयावधि में पूर्णतः संतृप्त हो सके। तद्नुसार चिन्हित क्लस्टरों के त्रिवर्षीय Rolling out plan के आधार पर प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जायेगी।** **3(घ) प्रत्येक जनपद द्वारा उर्ध्वगामी दृष्टिकोण (Bottom to Top Approach) के साथ गांवों में बैठक आयोजित कर, वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर कार्ययोजना तैयार की जायेगी।** **3(ड.) प्रत्येक जनपद द्वारा त्रिवर्षीय कार्ययोजना (Three years Rolling out plan) राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, (SPMU) द्वारा राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (SLEC) से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।** **3(च) राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (SLEC) से**

Generated from eOffice by OMEESH KUMAR, RO-OK, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 12/01/2023 11:48 AM

I/90544/2023

			अनुमोदित त्रिवर्षीय कार्ययोजना के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना पर अंतिम अनुमोदन /स्वीकृति प्रदान की जायेगी। **3(छ) जनपदों द्वारा अनुमोदित योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ त्रैमासिक रूप से राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, (SPMU) के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।** इस योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों का विवरण योजना के मार्गनिर्देश के पैरा सं0 09 में उल्लिखित है।
2	**6. वित्तीय प्रवाह** (Fund Flow)	**6**. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में योजनान्तर्गत सम्बन्धित जनपद को आवंटन की सूचना प्रेषित की जायेगी तथा आवंटन के अनुरूप ही जनपद द्वारा वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जायेगी। वार्षिक कार्ययोजनाओं को जनपद स्तर से विधिवत अनुमोदित कर निर्धारित प्रपत्र में एस0पी0एम0यू0 ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा। जिस पर राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी के अनुमोदनोपरांत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तदानुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। धनराशि की अवमुक्ति दो किश्तों में की जायेगी। प्रारम्भिक वर्ष के उपरांत आगामी वर्ष के लिये धनराशि की अवमुक्ति अनुमोदित योजनाओं पर हुये व्यय की पुष्टि होने के आधार पर किया जायेगा। योजना क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के लिए आवंटित की गई धनराशि का 50 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जायेगी तथा कुल अवमुक्त धनराशि का 80 प्रतिशत व्यय होने के उपरांत ही अगली किश्त संबंधित जनपद को अवमुक्त की जायेगी। किसी भी स्तर पर धनराशि का जमाव (parking) पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। वित्तीय अवमुक्ति हेतु नोडल विभाग धनराशि के समुचित तथा सुव्यवस्थित उपयोग हेतु जनपदों को सुसंगत दिशा–निर्देश समय–समय पर पृथक से जारी कर सकता है। इस हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन आवश्यक होगा।	**6. एस0पी0एम0यू0 द्वारा योजनान्तर्गत जनपदवार धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में जनपदों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में सूचित किया जायेगा** तथा आवंटन के अनुरूप ही जनपद द्वारा **03 वर्षों का Rolling out plan तैयार किया जायेगा। त्रिवर्षीय Rolling out plan** को जनपद स्तर से विधिवत अनुमोदित करते हुए, निर्धारित प्रपत्र में एस0पी0एम0यू0, ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा। जिस पर राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी के अनुमोदनोपरांत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तद्नुसार वर्षवार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। प्रारम्भिक वर्ष के उपरांत आगामी वर्ष के लिये धनराशि की अवमुक्ति अनुमोदित योजनाओं पर हुये व्यय की पुष्टि होने के आधार पर की जायेगी। योजना क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के लिए आवंटित की गई धनराशि का 50 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जायेगी तथा कुल अवमुक्त धनराशि का 80 प्रतिशत व्यय होने के उपरांत ही अगली किश्त संबंधित जनपद को अवमुक्त की जायेगी। किसी भी स्तर पर धनराशि का जमाव (parking) पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। वित्तीय अवमुक्ति हेतु नोडल विभाग धनराशि के समुचित तथा सुव्यवस्थित उपयोग हेतु जनपदों को सुसंगत दिशा–निर्देश समय–समय पर पृथक से जारी कर सकता है। इस हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन भी आवश्यक होगा।

(डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम)
सचिव

Generated from eOffice by OMEESH KUMAR, RO-OK, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 12/01/2023 11:48 AM